निर्धारित किया गया है जबकि प्रत्येक प्रतिलिपि के पंजीयन पर 2 रुपये से अधिक राशि खर्च होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पंजीयन शुल्क 2 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां, फिल्मों तथा रिकार्डों को छोड़कर, जिसके लिये फीस क्रमश: 10·00 रुपये और 4·00 रुपये है । सभी मामलों में खर्च 2·00 रुपये से अधिक आता है ।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Decentralisation of C. S. S.

2759. SHRI RAM CHARAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many people working in the Secretariat and Attached Offices, have been affected by the decentralisation of Central Secretariat Services ;

(b) whether it is a fact that whereas the Ministry of Health, Urban Development and Family Planning has been merged with the Department of Works, and Housing, their cadre has been kept separate ;

(c) whether it is also a fact that many permanent Assistants in the Ministry of Health and Family Planning who are quite junior to the Assistants working in the Department of Works and Housing are officiating as Section Officers ; if so, whether Government propose to take any decision to remove this anomaly ; and

(d) whether the cadre of the Department of supply is still with the Department of Works and Housing while it is a separate Ministry : if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) The question of reconstituting the Cadres consequent upon the recent re-organisation of the Ministries/Department is under consideration

(c) Yes, Sir. Disparities in promotions are inevitable in a decentralised set-up. The possibility of making certain modifications to the present decentralised set-up is under examination.

(d) Yes, Sir. The Department of Supply earlier formed part of the combined cadre of the Ministry of Works, Housing and Supply and will continue as such till the question of reconstituting the cadres consequent upon the recent reorganisation of the Ministries/Departments is finalised.

भारत में विदेशी धर्म प्रचारक

2760. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री बृज भूषण लाल :
श्री रणजीत सिंह :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री सूरज भान :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी धर्म प्रचारकों के नाम तथा पते क्या हैं जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षों में शिकायतें प्राप्त हुई या जिनकी गतिविधियों को संदेहपूर्ण पाया गया ;

(ख) उनके विरुद्ध क्या क्या शकायतें प्राप्त हुई तथा उनपर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि पादरी फरेरे ने भारत तथा अन्य देशों में अपनी गतिविधियां करने के लिए लाखों रुपये इकठ्ठे कर लिए थे ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) गत तीन वर्षों में कितने अन्य धर्म प्रचारकों को भारत में आने की अनुमति दी गई तथा कितने धर्म प्रचारकों को उनको ठहरने

की अवधि समाप्त होने के बाद भी ठहरने दिया गया ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ). बताया जाता है कि मनमाड स्थिति कैथोलिक मिशन को, जिसके कार्य प्रभारी भारत में अपने पिछले प्रवास के दौरान पादरी फरेर थे, लगभग 76 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई ।

कुछ ऐसे भी समाचार मिले हैं कि पादरी फरेर का 120 रु० प्रति व्यक्ति से दान एकत्रित करके आन्ध्र प्रदेश के निर्धन वर्गों की उन्नति के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1.20 करोड़ रुपये का न्यास बनाने का इरादा था । तथापि, ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने वास्तव में दान एकत्रित किया ।

(ङ) ऐसे नये विदेशी धर्म प्रचारकों की संख्या 826 थी जिनको गत तीन वर्षों में वीजा/विशेष पृष्ठांकन दिये जाने के लिए प्राधिकृत किया गया । दीर्घावधि वीजा पर जाने वाले अन्य विदेशियों की भाँति विदेशी धर्म प्रचारकों की पर्याप्त कारणों के लिए, यदि वे अन्यथा पात्र हों, वर्षवार आधार पर भारत में ठहरने की अवधि बढ़ाई जाती है ।

उप राज्यपाल दिल्ली को लिखे गये पत्रों पर कार्यवाही

2761. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों, महानगर परिषद के सदस्यों तथा नगर निगम के सदस्यों ने गत एक वर्ष में दिल्ली के उप-राज्यपाल को कुल कितने पत्र लिखे, उनमें से कितने पत्रों की प्राप्ति स्वीकार की गई तथा कितने पत्रों के आवश्यक कार्यवाही करने के बाद कितने पत्रों के उत्तर दिए गये ;

(ख) क्या यह सच है कि सदस्यों को उनके बहुत पत्रों पर की गई कार्यवाही की सूचना नहीं भेजी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) स्थिति निम्न प्रकार बताई गई है—

	संसद सदस्य	सदस्य, महानगर परिषद	सदस्य, नगर निगम
प्राप्त हुए पत्रों की संख्या	146	105	111
प्राप्ति स्वीकृति पत्रों की संख्या ।	132	89	102
जवाब दिए गये अथवा व्यक्तिगत तौर पर स्पष्ट किए गये पत्रों की संख्या ।	134	91	101

(ख) यह बताया गया है कि पत्रों के जबाब नियत रूप से दिये जाते हैं अथवा सदस्यों को जांच के परिणामों से अवगत कराया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विधेयकों का हिन्दी में पुरःस्थापन

2762. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद में विधेयकों तथा अधिनियमों के मूल पाठ हिन्दी में पुरःस्थापित करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस कार्य को व्यवहारिक रूप कब दिया जायेगा ; और

(ग) उपर्युक्त निर्णय करने में मुख्य रूप से क्या क्या कठिनाइयां हैं ?